

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 मई 2014—ज्येष्ठ 5, शक 1936

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2014

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-04.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए, राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
राजस्व विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.15	अविवादित बंटवारा करना.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में).	90 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-14.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.1	लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना.	बाल विकास परियोजना अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.